न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./98/2018/बाड़मेर

अपीलांट

1. मालाराम पुत्र मांगीलाल
उम्र 38 वर्ष

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.रूपाराम पुत्र मोडाराम उम्र 60 वर्ष
2.मंगलाराम पुत्र मोडाराम उम्र 55 वर्ष
3.हड़मानाराम पुत्र मोडाराम उम्र 50 वर्ष
4.देवाराम पुत्र मोडाराम उम्र 45 वर्ष
5.झमकुदेवी पुत्र मोडाराम उम्र 35 वर्ष
6.मिरकीदेवी पुत्री मांगीलाल उम्र 30 वर्ष
जाति चौधरी पटेल निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर(राज.)
7.ढलीदेवी पुत्री पांचीदेवी पत्नी सांवलाराम उम्र 40 वर्ष जाति चौधरी पटेल निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
8.केसीदेवी पत्नी मांगीलाल उम्र 35 वर्ष
9.तुलसीदेवी पुत्री मांगीलाल उम्र 35 वर्ष
10.भीखीदेवी पुत्री मोतीराम उम्र 70 वर्ष
11.नारायणराम पुत्र सारीदेवी पत्नी खेताराम उम्र 32 वर्ष
12.जेरूपाराम पुत्र पांचीदेवी पत्नी सांवलाराम उम्र 35 वर्ष
13.गणपतराम पुत्र पांचीदेवी पत्नी सांवलाराम 30 वर्ष
14.मथरादेवी पुत्री मोतीराम उम्र 40 वर्ष जाति चौधरी पटेल निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर(राज)
15.राज. राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2018 बअनवान

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रूपाराम बनाम मांगीलाल (मालाराम) वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रवि पंवार अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 16.12.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा कल्याणपुर में अपीलांट और उतरदातागण संख्या 01 से 14 की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 21.13 बीघा, खसरा संख्या 409 रकबा 70.04 बीघा, खसरा संख्या 1108/412 रकबा 26.14 बीघा, खसरा संख्या 1109/412 रकबा 36.10 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 28.01 बीघा, खसरा संख्या 273 रकबा 33.12 बीघा, खसरा संख्या 460 रकबा 34.04 बीघा, खसरा संख्या 1110/412 रकबा 63.19 बीघा, खसरा संख्या 411 रकबा 02.03 बीघा कुल रकबा 317 बीघा संयुक्त रूप से आई हुई है। अपीलाधीन आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की पत्रावली सीधे ही कैम्प कल्याणपुरा में रखी गई। हस्तगत वाद के सम्मन बाद तामील प्राप्त होना बताया तथा अपीलांट का जबवदावा पेश करना बताया गया। अपीलांट को धोखे में रख कर इकबाली जबावदावा व राजीनामा पेश करा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट को जबावदावे के साथ में साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जो देना न्यायसंगत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के दोनों अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की पत्रावली सीधे ही कैम्प कल्याणपुरा में रखी गई। हस्तगत वाद के सम्मन बाद

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तामील प्राप्त होना बताया तथा अपीलांट का जबवदावा पेश करना बताया गया। अपीलांट को धोखे में रख कर इकबाली जबावदावा व राजीनामा पेश करा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट को जबावदावे के साथ में साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जो देना न्यायसंगत था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के नाम जारी सम्मन की फर्द पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर से तामील है जो तामील की पर्याप्त श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर पारित की गई उस रोज अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर था तथा आदेशिका में उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पारित किये जाने के कारण उसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलांट मामले को येन–केन प्रकारेन लंबा करने की नियत से न्यायालय हाजा में साफ एवं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अपीलांट की मंशा प्रकरण को अनावश्यक चुनौती देने की है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

RRT 2018(2) Page 1485
RRT 2018(1) Page 569

अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

अपील विचाराधीन रहते अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मुंतकिल/टीए/प्रार्थना–पत्र/जिला बाड़मेर/2020/2917 दिनांक 20.08.2020 को पेश किये जाने पर दर्ज होकर न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किया गया यह आवेदन दिनांक 30.09.2020 को खारिज किया गया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

द्वितीय मुंतकिली/टीए/4449/2020 मालाराम बनाम नखतदान बारहठ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश हुई जो दिनांक 15.12.2020 को गुणावगुण पर खारिज कर दी गई।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गंभीरतापूर्वक अवलोकन मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के नाम जारी नोटिस की फर्द स्वयं पर से तामील होकर पत्रावली पर संलग्न है। अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना से कैम्प कोर्ट कल्याणपुर में प्रस्तुत एवं विधि सम्मत तस्दीकशुदा राजीनामा के आधार पर पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ उस रोज अपीलांट स्वयं मजमे आम कैम्प कोर्ट में उपस्थिति था तथा उपस्थिति स्वरूप आदेशिका एवं राजीमा दोनों पर उनके हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय **लोक अदालत में** पक्षकारों द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर पारित किया गया तथा राजीनामा पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी लिखित एवं स्वीकार्य राजीनामा के जरिये मज्मे आम लोक अदालत में हुए निर्णय की कानूनन कोई अपील अनुज्ञात नहीं है। **अपीलांट/प्रतिवादी येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आया हैं।** अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अत: अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 72/2018 बअनवान रूपाराम बनाम मांगीलाल(मालाराम) वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

16/12/20

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर